

नया रायपुर, दिनांक 7 मार्च 2018

अधिसूचना

सं. 13/2018-राज्य कर

क्रमांक एफ -10-9/2018/वाक/पांच(23).- राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 6/2018-राज्य कर क्रमांक एफ-10-02/2018/वाक/पांच (5) तारीख 24 जनवरी 2018, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 31-अ में तारीख 25 जनवरी 2018 को प्रकाशित किया गया था, को, उन बातों के सिवाए, जिन्हें ऐसे विखंडन से पूर्व किया गया है या जिनके करने का लोप किया गया है, विखंडित करती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 मार्च 2018

क्रमांक एफ -10-9/2018/वाक/पांच(23).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-9/2018/वाक/पांच (23), दिनांक 07-03-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 7th March 2018

NOTIFICATION

No. 13/2018 – State Tax

No. F-10- 9/2018/CT/V (23). — In exercise of the powers conferred by section 128 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby rescinds notification No. 6/2018- State Tax, F-10-2/2018/CT/V (5) dated the 24th January, 2018 of Commercial Tax Department, Government of Chhattisgarh, published in the Gazette of Chhattisgarh (Extraordinary), vide number 31-अ, dated the 25th January, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SANGEETHA P., Special Secretary.